

# 1191

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर कपासन विना - चित्तौडगढ (राज)

पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम स्थल - कानपुर

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 513/25

दायर दिनांक 02/10/25

निर्णय दिनांक 02/10/25

रिपोर्ट



ग्राफीण सेवा शिविर-2025

क्र.म.	नाम-श्राण	साम	रिपोर्ट		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश	
1	<u>कानपुर</u>	<u>156</u>	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	तहसीलीदर कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.स.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यापीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>खतासं 156</u> प.ह. <u>कानपुर</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
	हस्ताक्षर प्रदाता	हस्ताक्षर प्रदाता	हस्ताक्षर प्रदाता	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलीदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	
	<u>पटवारी</u>	<u>पटवारी</u>	<u>पटवारी</u>	<u>पटवारी</u>	<u>पटवारी</u>	

प्रतिनिधि पालनार्थ:- पटवारी महेश कुमार उपखण्ड अधिकारी  
 1. पटवारी पटवारी कानपुर चित्तौडगढ विना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलीदार(भू.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर